

कार्यालय संचालक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
शंकर नगर, रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2443596/Fax No.0771-2443596/ Website: scertcg@mail.com

क्र./बी.एड. /प्रवेश/2011-12/2684

रायपुर, दिनांक 09.09.2011

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छ.ग. में दायर याचिका क्रमांक W.P.(C) 4631/2011, 4866/2001, 4890/2011, 4983/2011, 4984/2011 व 4985/2011 में दिनांक 09.09.11 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है। पारित आदेशानुसार राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय और छात्र माननीय न्यायालय के पारित अंतरिम आदेश के आधार पर उक्त अंतरिम आदेश को प्रिफरेंशियल राइट के रूप में दावा नहीं करेंगे। यह अंतरिम आदेश संबंधित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

याचिकाकर्ता महाविद्यालय के नाम निम्नानुसार है :-

1. शुभम शिक्षण महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
2. कोणार्क शिक्षा महाविद्यालय, खोखसा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
3. महंतलाल दास कला/विज्ञान महाविद्यालय, शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
4. पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
5. श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
6. ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
7. ज्ञानदीप शिक्षा कॉलेज आफ एजुकेशन, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
8. डी.एल.एस. महाविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)
9. मेडुका शिक्षा महाविद्यालय, मेडुका, (पेण्ड्रारोड), बिलासपुर (छ.ग.)
10. राहौद शिक्षा महाविद्यालय, राहौद, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

अतः माननीय न्यायालय के पारित निर्देशानुसार बी.एड. प्रवेश हेतु तृतीय एवं अंतिम चरण की काउंसलिंग में छात्रों द्वारा विकल्प फार्म भरने की तिथि को दिनांक 09.09.2011 से बढ़ाकर 12.09.2011 किया जाता है तथा इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार वर्णित 10 महाविद्यालयों को शामिल किया जाता है।


संयुक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर

पृ.क्र./बी.एड. /प्रवेश/2011-12/2685

रायपुर, दिनांक 09.09.2011

प्रतिलिपि:—

1. महा अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, (छ.ग.)।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव छ.ग., शासन स्कूल शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर।
3. कुल सचिव, समस्त विविद्यालय छ.ग.।
4. क्षेत्रीय निदेशक , एन.सी.टी.ई. भारत भवन , श्यामला हिल्स, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ ।
5. प्राचार्य , सर्वसंबंधित महाविद्यालय ।
6. प्राचार्य समस्त शिक्षा महाविद्यालय छ.ग.।
7. समस्त प्रवेशेच्छु अभ्यर्थी बी.एड. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रबंध निदेशक, MKCL पुणे (महाराष्ट्र) को उपरोक्त महाविद्यालयों को ऑन लाईन आबंटन प्रक्रिया में शामिल करने हेतु।



संयुक्त संचालक